



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09012026-269251
CG-DL-E-09012026-269251

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 140]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 8, 2026/पौष 18, 1947

No. 140]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 8, 2026/PAUSHA 18, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2026

का.आ. 150(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-09 (हिसार-डबवाली सेक्शन) के 170.800 किमी से 172.800 किमी तक के ज़मीन के हिस्से के संबंध में, ढंडूर जंक्शन पर डबल लूप डम्बल इंटरचेंज के निर्माण (चोड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-09 (हिसार-डबवाली सेक्शन) के 170.800 किमी से 172.800 किमी तक की भूमिका अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला राजस्व अधिकारी हिसार	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH9 के कि.मी 170.8 से कि.मी 172.8 तक	हरियाणा	हिसार	हिसार	1 बीड हिसार

[फा. सं. 291132]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2026

S.O. 150(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 170.800 to Km. 172.800 of the NH-09 (Hisar-Dabwali Section) for construction of Double Loop dumbbell Interchange at the Dhandhoor Junction (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of Haryana

SCHEDULE

Land acquisition from Km. 170.800 to Km. 172.800 of the NH-09 (Hisar-Dabwali Section) in the State of Haryana.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	District Revenue Officer Hisar	NH9 KM 170.8 TO KM 172.8	HARYANA	HISAR	Hisar	1 Bir Hisar

[F. No. 291132]

SHAIKH AMINKHAN, Director